



छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

(भारत सरकार, राज्य शासन एवं भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उपक्रम)

CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK

(Joint Venture of Govt. of India, State Govt. & State Bank of India)

श्री अनूप कुमार सोनी,
श्री जे.एल.सोनी,
महादेवघाट रोड़, रिजर्व बैंक के सामने,
मैत्रीनगर रायपुर (छ.ग.) पिन-492013

पत्र क्रमांक : CRGB/Staff/1846/2020-21

दिनांक : 22/01/2021

महोदय,

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) कार्य हेतु आपका नाम सूचीबद्ध करने संबंधी

आपको सूचित करते हुये हमें हर्ष है कि पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) पद पर कार्य करने के लिये दिनांक 20/01/2021 को संपन्न साक्षात्कार में आपका नाम सूचीबद्ध करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु आपको सूचीबद्ध करना पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है जो अन्य शर्तों के साथ-साथ (Inter-alia) निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के अधीन है :-

1) उक्त पद हेतु आपका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार तय किया गया है :-

पद	एनपीए/बीसी पर्यवेक्षक	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय
सुपरवाईजर	बी.सी.	रायपुर

2) गोपनीयता एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

3) इसे नियोजन/पुनः नियोजन नहीं माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाये सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है।

4) सूची में शामिल हो जाने मात्र से आप काम पाने का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। कार्य का आबंटन युक्तियुक्तता तथा बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।

5) पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) पद हेतु मानदेय की दर निम्नानुसार है -

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	मानदेय	रिमार्क
1	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 25,000/-	
		₹ 5000/-	परिवहन भत्ता (Conveyance) एवं मोबाईल चार्ज
योग		₹ 30,000/-	₹30,000/-+ इन्सेन्टिव (आबंटित किए गए कार्य में यदि बैंक के द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिया जाता है, तो अधिकतम ₹10,000/- तक पात्रता होगी)

6) आप बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

7) सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमें वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा।

~~2~~

प्रधान कार्यालय - महादेव घाट रोड़, सुन्दर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492013


Head Office - Mahadeoghat Road, Sunder Nagar, Raipur (C.G.) 492013


Phone No. - +91 771 4388804, Toll Free - 1800-233-2300, Email - cgb_raipur@yahoo.co.in, Website - www.cgbank.in

- 8) ज्वाईनिंग के समय चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- 9) पेंशन सर्टिफिकेट एवं पी.पी.ओ. अंतिम माह का प्रस्तुत करना होगा।
- 10) फोटो सत्यापित दो चरित्र प्रमाण पत्र अलग-अलग व्यक्तियों से प्रमाणित प्रस्तुत करें।
- 11) अन्य संस्था में कार्य न करने एवं आय अर्जन संबंधी अन्य स्रोत हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- 12) संस्था छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस देवें तभी सेवात्याग की कार्यवाही की जाएगी। ऐसा न किए जाने की स्थिति में एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 13) कार्य की समीक्षा मासिक अंतराल में की जावेगी एवं कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में बैंक प्रबंधन को सेवा समाप्ति का अधिकार होगा।
- 14) माह में एक से अधिक दिन अनुपस्थित रहने पर (बैंकिंग अवकाश दिवस को छोड़कर) मानदेय अनुपातिक आधार पर देय होगा।
- 15) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

यदि उपरोक्त शर्तें आपको स्वीकार हैं, तो आप उक्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नियम एवं शर्तों की स्वीकृति स्वरूप इस पत्र की द्वितीय प्रति पर हस्ताक्षर कर दिनांक 30/01/2021, समय 11:00 AM को प्रधान कार्यालय रायपुर में संबंधित कागजात लेकर उपस्थित होंगे।

भवदीय,


महाप्रबंधक (प्रशासन) ✓





छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

(भारत सरकार, राज्य शासन एवं भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उपक्रम)

CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK

(Joint Venture of Govt. of India, State Govt. & State Bank of India)

श्री अखिलेश शर्मा,
श्री रामावतार शर्मा,
हाउस नं.-54/113,
शीतला मंदिर के पास, शांति विहार कालोनी,
डंगनिया रायपुर (छ.ग.)

पत्र क्रमांक : CRGB/Staff/1846/2020-21

दिनांक : 22/01/2021

महोदय,

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) कार्य हेतु आपका नाम सूचीबद्ध करने संबंधी

आपको सूचित करते हुये हमें हर्ष है कि पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद पर कार्य करने के लिये दिनांक 20/01/2021 को संपन्न साक्षात्कार में आपका नाम सूचीबद्ध करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु आपको सूचीबद्ध करना पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है जो अन्य शर्तों के साथ-साथ (Inter-alia) निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के अधीन है :-

- 1) उक्त पद हेतु आपका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार तय किया गया है :-

पद	एनपीए/बीसी पर्यवेक्षक	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय
सुपरवाइजर	बी.सी.	बिलासपुर

- 2) गोपनीयता एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।
- 3) इसे नियोजन/पुनः नियोजन नहीं माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाये सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है।
- 4) सूची में शामिल हो जाने मात्र से आप काम पाने का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। कार्य का आबंटन युक्तियुक्तता तथा बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।
- 5) पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद हेतु मानदेय की दर निम्नानुसार है -

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	मानदेय	रिमार्क
1	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 25,000/- ₹ 5000/-	परिवहन भत्ता (Conveyance) एवं मोबाईल चार्ज
योग		₹ 30,000/-	₹30,000/-+ इन्सेन्टिव (आबंटित किए गए कार्य में यदि बैंक के द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिया जाता है, तो अधिकतम ₹10,000/- तक पात्रता होगी)

- 6) आप बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
- 7) सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमें वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा।

--2--

प्रधान कार्यालय - महादेव घाट रोड, सुन्दर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492013

Head Office - Mahadeoghat Road, Sunder Nagar, Raipur (C.G.) 492013

Phone No. - +91 771 4388804, Toll Free - 1800-233-2300, Email - cgb_raipur@yahoo.co.in, Website - www.cgbank.in


- 8) ज्वर्निंग के समय चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- 9) पेंशन सर्टिफिकेट एवं पी.पी.ओ. अंतिम माह का प्रस्तुत करना होगा।
- 10) फोटो सत्यापित दो चरित्र प्रमाण पत्र अलग-अलग व्यक्तियों से प्रमाणित प्रस्तुत करें।
- 11) अन्य संस्था में कार्य न करने एवं आय अर्जन संबंधी अन्य स्रोत हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- 12) संस्था छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस देवें तभी सेवात्याग की कार्यवाही की जाएगी। ऐसा न किए जाने की स्थिति में एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 13) कार्य की समीक्षा मासिक अंतराल में की जावेगी एवं कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में बैंक प्रबंधन को सेवा समाप्ति का अधिकार होगा।
- 14) माह में एक से अधिक दिन अनुपस्थित रहने पर (बैंकिंग अवकाश दिवस को छोड़कर) मानदेय अनुपातिक आधार पर देय होगा।
- 15) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

यदि उपरोक्त शर्तें आपको स्वीकार है, तो आप उक्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नियम एवं शर्तों की स्वीकृति स्वरूप इस पत्र की द्वितीय प्रति पर हस्ताक्षर कर दिनांक 30/01/2021, समय 11:00 AM को प्रधान कार्यालय रायपुर में संबंधित कागजात लेकर उपस्थित होंगे।

भवदीय,



महाप्रबंधक (प्रशासन)





श्री तिलक कुमार नायक,
श्री ईश्वर प्रसाद नायक,
M-9, जीवन विहार कालोनी,
मकान नं.-3214, वार्ड-22,
महर्षि वाल्मिकी वार्ड, VIP चौक,
तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.), पिन नं-492006

पत्र क्रमांक : CRGB/Staff/1846/2020-21
दिनांक : 22/01/2021

महोदय,

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) कार्य हेतु आपका नाम सूचीबद्ध करने संबंधी

आपको सूचित करते हुये हमें हर्ष है कि पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) पद पर कार्य करने के लिये दिनांक 20/01/2021 को संपन्न साक्षात्कार में आपका नाम सूचीबद्ध करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु आपको सूचीबद्ध करना पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है जो अन्य शर्तों के साथ-साथ (Inter-alia) निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के अधीन है :-

- 1) उक्त पद हेतु आपका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार तय किया गया है :-

पद	एनपीए/बीसी पर्यवेक्षक	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय
सुपरवाईजर	बी.सी.	रायगढ़

- 2) गोपनीयता एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।
- 3) इसे नियोजन/पुनः नियोजन नहीं माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाये सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है।
- 4) सूची में शामिल हो जाने मात्र से आप काम पाने का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। कार्य का आबंटन युक्तियुक्तता तथा बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।
- 5) पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) पद हेतु मानदेय की दर निम्नानुसार है -

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	मानदेय	रिमार्क
1	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 25,000/-	
		₹ 5000/-	परिवहन भत्ता (Conveyance) एवं मोबाईल चार्ज
योग		₹ 30,000/-	₹30,000/-+ इन्सेन्टिव (आबंटित किए गए कार्य में यदि बैंक के द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिया जाता है, तो अधिकतम ₹10,000/- तक पात्रता होगी)


- 6) आप बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
- 7) सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमें वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा।

--2--

- 8) ज्वाईनिंग के समय चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- 9) पेंशन सर्टिफिकेट एवं पी.पी.ओ. अंतिम माह का प्रस्तुत करना होगा।
- 10) फोटो सत्यापित दो चरित्र प्रमाण पत्र अलग-अलग व्यक्तियों से प्रमाणित प्रस्तुत करें।
- 11) अन्य संस्था में कार्य न करने एवं आय अर्जन संबंधी अन्य स्रोत हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- 12) संस्था छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस दें तभी सेवात्याग की कार्यवाही की जाएगी। ऐसा न किए जाने की स्थिति में एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 13) कार्य की समीक्षा मासिक अंतराल में की जावेगी एवं कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में बैंक प्रबंधन को सेवा समाप्ति का अधिकार होगा।
- 14) माह में एक से अधिक दिन अनुपस्थित रहने पर (बैंकिंग अवकाश दिवस को छोड़कर) मानदेय अनुपातिक आधार पर देय होगा।
- 15) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

यदि उपरोक्त शर्तें आपको स्वीकार हैं, तो आप उक्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नियम एवं शर्तों की स्वीकृति स्वरूप इस पत्र की द्वितीय प्रति पर हस्ताक्षर कर दिनांक 30/01/2021, समय 11:00 AM को प्रधान कार्यालय रायपुर में संबंधित कागजात लेकर उपस्थित हों।

भवदीय,


महाप्रबंधक (प्रशासन)





श्री राकेश तिवारी,
स्व.श्री के.के. तिवारी,
वार्ड नं.-05, चिखली,
राजनांदगांव (छ.ग.), पिन नं-491441

पत्र क्रमांक : CRGB/Staff/1846/2020-21
दिनांक : 22/01/2021

महोदय,

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) कार्य हेतु आपका नाम सूचीबद्ध करने संबंधी

आपको सूचित करते हुये हमें हर्ष है कि पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद पर कार्य करने के लिये दिनांक 20/01/2021 को संपन्न साक्षात्कार में आपका नाम सूचीबद्ध करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु आपको सूचीबद्ध करना पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है जो अन्य शर्तों के साथ-साथ (Inter-alia) निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के अधीन है :-

- 1) उक्त पद हेतु आपका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार तय किया गया है :-

पद	एनपीए/बीसी पर्यवेक्षक	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय
सुपरवाइजर	एन.पी.ए.	राजनांदगांव

- 2) गोपनीयता एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।
- 3) इसे नियोजन/पुनः नियोजन नहीं माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाये सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है।
- 4) सूची में शामिल हो जाने मात्र से आप काम पाने का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। कार्य का आबंटन युक्तियुक्तता तथा बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।
- 5) पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद हेतु मानदेय की दर निम्नानुसार है -

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	मानदेय	रिमार्क
1	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 25,000/- ₹ 5000/-	परिवहन भत्ता (Conveyance) एवं मोबाईल चार्ज
योग		₹ 30,000/-	₹30,000/-+ इन्सेन्टिव (आबंटित किए गए कार्य में यदि बैंक के द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिया जाता है, तो अधिकतम ₹10,000/- तक पात्रता होगी)


- 6) आप बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
- 7) सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमें वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा।

--2--

- 8) ज्वार्डनिंग के समय चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- 9) पेंशन सर्टिफिकेट एवं पी.पी.ओ. अंतिम माह का प्रस्तुत करना होगा।
- 10) फोटो सत्यापित दो चरित्र प्रमाण पत्र अलग-अलग व्यक्तियों से प्रमाणित प्रस्तुत करें।
- 11) अन्य संस्था में कार्य न करने एवं आय अर्जन संबंधी अन्य स्रोत हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- 12) संस्था छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस देवें तभी सेवात्याग की कार्यवाही की जाएगी। ऐसा न किए जाने की स्थिति में एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 13) कार्य की समीक्षा मासिक अंतराल में की जावेगी एवं कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में बैंक प्रबंधन को सेवा समाप्ति का अधिकार होगा।
- 14) माह में एक से अधिक दिन अनुपस्थित रहने पर (बैंकिंग अवकाश दिवस को छोड़कर) मानदेय अनुपातिक आधार पर देय होगा।
- 15) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

यदि उपरोक्त शर्तें आपको स्वीकार है, तो आप उक्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नियम एवं शर्तों की स्वीकृति स्वरूप इस पत्र की द्वितीय प्रति पर हस्ताक्षर कर दिनांक 30/01/2021, समय 11:00 AM को प्रधान कार्यालय रायपुर में संबंधित कागजात लेकर उपस्थित होंगे।

भवदीय,


महाप्रबंधक (प्रशासन)





छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

(भारत सरकार, राज्य शासन एवं भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उपक्रम)

CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK

(Joint Venture of Govt. of India, State Govt. & State Bank of India)

श्री हेमसिंग ठाकुर,
स्व. श्री महादेव सिंह ठाकुर,
बालक हाई स्कूल रोड, वार्ड नं.-1,
गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

पत्र क्रमांक : CRGB/Staff/1846/2020-21

दिनांक : 22/01/2021

महोदय,

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) कार्य हेतु आपका नाम सूचीबद्ध करने संबंधी

आपको सूचित करते हुये हमें हर्ष है कि पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) पद पर कार्य करने के लिये दिनांक 20/01/2021 को संपन्न साक्षात्कार में आपका नाम सूचीबद्ध करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु आपको सूचीबद्ध करना पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है जो अन्य शर्तों के साथ-साथ (Inter-alia) निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के अधीन है :-

1) उक्त पद हेतु आपका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार तय किया गया है :-

पद	एनपीए/बीसी पर्यवेक्षक	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय
सुपरवाईजर	बी.सी.	धमतरी

- गोपनीयता एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।
- इसे नियोजन/पुनः नियोजन नहीं माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाये सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है।
- सूची में शामिल हो जाने मात्र से आप काम पाने का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। कार्य का आबंटन युक्तियुक्तता तथा बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।
- पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) पद हेतु मानदेय की दर निम्नानुसार है -

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	मानदेय	रिमार्क
1	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 25,000/-	
		₹ 5000/-	परिवहन भत्ता (Conveyance) एवं मोबाईल चार्ज
योग		₹ 30,000/-	₹30,000/-+ इन्सेन्टिव (आबंटित किए गए कार्य में यदि बैंक के द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिया जाता है, तो अधिकतम ₹10,000/- तक पात्रता होगी)

- आप बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
- सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमें वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा।

--2--

प्रधान कार्यालय - महादेव घाट रोड, सुन्दर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492013


Head Office - Mahadeoghat Road, Sunder Nagar, Raipur (C.G.) 492013


Phone No. - +91 771 4388804, Toll Free - 1800-233-2300, Email - cgb_raipur@yahoo.co.in, Website - www.cgbank.in

- 8) ज्वॉरनरंग के समय चरकतसक का फरटनेस सरुतर्फरकेट जमा करना होगा।
- 9) पेंशन सरुतर्फरकेट एवं पी.पी.ओ. अंतरम माह का प्रस्तुत करना होगा।
- 10) फोटो सतुयापरत दो चररत्र प्रमाण पत्र अलग-अलग व्यकरतयों से प्रमाणरत प्रस्तुत करें।
- 11) अन्य संसुथा में कररुय न करने एवं आय अरुजन संबंधी अन्य स्रोत हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- 12) संसुथा छोड़ने की स्थरतर में एक माह पूर्व नोटरस देवें तभी सेवतरुयाग की कररुयवाही की जाएगी। ऐसल न करे जाने की स्थरतर में एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 13) कररुय की समीक्षा मासरक अंतररल में की जावेगी एवं कररुय संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थरतर में बैंक प्रबंधन को सेवा समाप्तर का अधिकार होगा।
- 14) माह में एक से अधिक दरन अनुपस्थरत रहने पर (बैंकरंग अवकाश दरस को छोड़कर) मानदेय अनुपातरक आधरर पर देय होगा।
- 15) अधिकारररों के नाम सूचीबद्ध करने का कररुय पूर्णतः अस्थरई है। इसे करसी नुयलरलय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। वरवाद की स्थरतर में बैंक का नररुणय अंतरम एवं बंधनकररी होगा।

यदर उपरोक्त शरुतें आपको स्वीकर है, तो आप उक्त औपचाररकरतयें पूर्ण कर नरयम एवं शरुतों की स्वीकरुतर स्वरूप इस पत्र की दरुतरतय प्रतर पर हस्तलकर कर दरनांक 30/01/2021, समय 11:00 AM को प्रधान कररुयलरय रलयपुर में संबंधरत कागजात लेकर उपस्थरत होंवें।

भवदीय,


महाप्रबंधक (प्रशासन)





छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

(भारत सरकार, राज्य शासन एवं भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उपक्रम)

CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK

(Joint Venture of Govt. of India, State Govt. & State Bank of India)

श्री अविनाश देशपाण्डेय,
स्व. श्री लक्ष्मीकांत देशपाण्डेय,
B-8, बसंत पार्क, न्यू पुरैना,
पोस्ट-रविनगर, रायपुर (छ.ग.),
पिन नं-492006

पत्र क्रमांक : CRGB/Staff/1846/2020-21

दिनांक : 22/01/2021

महोदय,

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) कार्य हेतु आपका नाम सूचीबद्ध करने संबंधी

आपको सूचित करते हुये हमें हर्ष है कि पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद पर कार्य करने के लिये दिनांक 20/01/2021 को संपन्न साक्षात्कार में आपका नाम सूचीबद्ध करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु आपको सूचीबद्ध करना पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है जो अन्य शर्तों के साथ-साथ (Inter-alia) निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के अधीन है :-

1) उक्त पद हेतु आपका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार तय किया गया है :-

पद	एनपीए/बीसी पर्यवेक्षक	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय
सुपरवाइजर	बी.सी.	रायपुर

2) गोपनीयता एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

3) इसे नियोजन/पुनः नियोजन नहीं माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाये सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है।

4) सूची में शामिल हो जाने मात्र से आप काम पाने का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। कार्य का आबंटन युक्तियुक्तता तथा बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।

5) पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद हेतु मानदेय की दर निम्नानुसार है -

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	मानदेय	रिमार्क
1	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 25,000/- ₹ 5000/-	परिवहन भत्ता (Conveyance) एवं मोबाईल चार्ज
योग		₹ 30,000/-	₹30,000/-+ इन्सेन्टिव (आबंटित किए गए कार्य में यदि बैंक के द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिया जाता है, तो अधिकतम ₹10,000/- तक पात्रता होगी)

6) आप बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

7) सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमें वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा।

--2--

प्रधान कार्यालय - महादेव घाट रोड, सुन्दर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492013


Head Office - Mahadeoghat Road, Sunder Nagar, Raipur (C.G.) 492013


Phone No. +91 771 4388804, Toll Free - 1800-233-2300, Email - cgb_raipur@yahoo.co.in, Website - www.cgbank.in

- 8) ज्वार्डनिंग के समय चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- 9) पेंशन सर्टिफिकेट एवं पी.पी.ओ. अंतिम माह का प्रस्तुत करना होगा।
- 10) फोटो सत्यापित दो चरित्र प्रमाण पत्र अलग-अलग व्यक्तियों से प्रमाणित प्रस्तुत करें।
- 11) अन्य संस्था में कार्य न करने एवं आय अर्जन संबंधी अन्य स्रोत हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- 12) संस्था छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस देवें तभी सेवात्याग की कार्यवाही की जाएगी। ऐसा न किए जाने की स्थिति में एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 13) कार्य की समीक्षा मासिक अंतराल में की जावेगी एवं कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में बैंक प्रबंधन को सेवा समाप्ति का अधिकार होगा।
- 14) माह में एक से अधिक दिन अनुपस्थित रहने पर (बैंकिंग अवकाश दिवस को छोड़कर) मानदेय अनुपातिक आधार पर देय होगा।
- 15) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

यदि उपरोक्त शर्तें आपको स्वीकार हैं, तो आप उक्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नियम एवं शर्तों की स्वीकृति स्वरूप इस पत्र की द्वितीय प्रति पर हस्ताक्षर कर दिनांक 30/01/2021, समय 11:00 AM को प्रधान कार्यालय रायपुर में संबंधित कागजात लेकर उपस्थित होंगे।

भवदीय,


महाप्रबंधक (प्रशासन)





श्री विरेन्द्र कुमार अम्बस्ट,
स्व. श्री जगदम्बा प्रसाद अम्बस्ट,
रिंग रोड, मरीन ड्राइव तालाब के पास,
ग्रामीण बैंक कॉलोनी अम्बिकापुर, पिन नं.-497001

पत्र क्रमांक : CRGB/Staff/1846/2020-21
दिनांक : 22/01/2021

महोदय,

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) कार्य हेतु आपका नाम सूचीबद्ध करने संबंधी

आपको सूचित करते हुये हमें हर्ष है कि पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद पर कार्य करने के लिये दिनांक 20/01/2021 को संपन्न साक्षात्कार में आपका नाम सूचीबद्ध करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु आपको सूचीबद्ध करना पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है जो अन्य शर्तों के साथ-साथ (Inter-alia) निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के अधीन है :-

1) उक्त पद हेतु आपका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार तय किया गया है :-

पद	एनपीए/बीसी पर्यवेक्षक	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय
सुपरवाइजर	बी.सी.	बैकुण्ठपुर

- गोपनीयता एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।
- इसे नियोजन/पुनः नियोजन नहीं माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाये सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है।
- सूची में शामिल हो जाने मात्र से आप काम पाने का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। कार्य का आबंटन युक्तियुक्तता तथा बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।
- पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद हेतु मानदेय की दर निम्नानुसार है -

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	मानदेय	रिमार्क
1	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 25,000/- ₹ 5000/-	परिवहन भत्ता (Conveyance) एवं मोबाईल चार्ज
योग		₹ 30,000/-	₹30,000/-+ इन्सेन्टिव (आबंटित किए गए कार्य में यदि बैंक के द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिया जाता है, तो अधिकतम ₹10,000/- तक पात्रता होगी)


- आप बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
- सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमें वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा।


~~2~~

- 8) ज्वार्डनिंग के समय चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- 9) पेंशन सर्टिफिकेट एवं पी.पी.ओ. अंतिम माह का प्रस्तुत करना होगा।
- 10) फोटो सत्यापित दो चरित्र प्रमाण पत्र अलग-अलग व्यक्तियों से प्रमाणित प्रस्तुत करें।
- 11) अन्य संस्था में कार्य न करने एवं आय अर्जन संबंधी अन्य स्रोत हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- 12) संस्था छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस देवें तभी सेवात्याग की कार्यवाही की जाएगी। ऐसा न किए जाने की स्थिति में एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 13) कार्य की समीक्षा मासिक अंतराल में की जावेगी एवं कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में बैंक प्रबंधन को सेवा समाप्ति का अधिकार होगा।
- 14) माह में एक से अधिक दिन अनुपस्थित रहने पर (बैंकिंग अवकाश दिवस को छोड़कर) मानदेय अनुपातिक आधार पर देय होगा।
- 15) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

यदि उपरोक्त शर्तें आपको स्वीकार हैं, तो आप उक्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नियम एवं शर्तों की स्वीकृति स्वरूप इस पत्र की द्वितीय प्रति पर हस्ताक्षर कर दिनांक 30/01/2021, समय 11:00 AM को प्रधान कार्यालय रायपुर में संबंधित कागजात लेकर उपस्थित हों।

भवदीय,


महाप्रबंधक (प्रशासन)





श्री कुमुद माहेश्वर शुक्ला,
श्री अमरनाथ शुक्ल,
ग्राम-झगराखंड, पोस्ट-नेवसा नवापारा (पेण्ड्रा रोड़),
जिला-गौरेला, पेण्ड्रा,
मरवाही (छ.ग.) पिन नं.-495117

पत्र क्रमांक : CRGB/Staff/1846/2020-21
दिनांक : 22/01/2021

महोदय,

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) कार्य हेतु आपका नाम सूचीबद्ध करने संबंधी

आपको सूचित करते हुये हमें हर्ष है कि पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद पर कार्य करने के लिये दिनांक 20/01/2021 को संपन्न साक्षात्कार में आपका नाम सूचीबद्ध करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु आपको सूचीबद्ध करना पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है जो अन्य शर्तों के साथ-साथ (Inter-alia) निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के अधीन है :-

- 1) उक्त पद हेतु आपका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार तय किया गया है :-

पद	एनपीए/बीसी पर्यवेक्षक	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय
सुपरवाइजर	बी.सी.	बिलासपुर

- 2) गोपनीयता एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।
- 3) इसे नियोजन/पुनः नियोजन नहीं माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाये सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है।
- 4) सूची में शामिल हो जाने मात्र से आप काम पाने का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। कार्य का आबंटन युक्तियुक्तता तथा बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।
- 5) पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद हेतु मानदेय की दर निम्नानुसार है -

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	मानदेय	रिमार्क
1	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 25,000/- ₹ 5000/-	परिवहन भत्ता (Conveyance) एवं मोबाईल चार्ज
योग		₹ 30,000/-	₹30,000/-+ इन्सेन्टिव (आबंटित किए गए कार्य में यदि बैंक के द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिया जाता है, तो अधिकतम ₹10,000/- तक पात्रता होगी)


- 6) आप बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
- 7) सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमें वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा।


--2--

- 8) ज्वाइनिंग के समय चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- 9) पेंशन सर्टिफिकेट एवं पी.पी.ओ. अंतिम माह का प्रस्तुत करना होगा।
- 10) फोटो सत्यापित दो चरित्र प्रमाण पत्र अलग-अलग व्यक्तियों से प्रमाणित प्रस्तुत करें।
- 11) अन्य संस्था में कार्य न करने एवं आय अर्जन संबंधी अन्य स्रोत हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- 12) संस्था छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस देवें तभी सेवात्याग की कार्यवाही की जाएगी। ऐसा न किए जाने की स्थिति में एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 13) कार्य की समीक्षा मासिक अंतराल में की जावेगी एवं कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में बैंक प्रबंधन को सेवा समाप्ति का अधिकार होगा।
- 14) माह में एक से अधिक दिन अनुपस्थित रहने पर (बैंकिंग अवकाश दिवस को छोड़कर) मानदेय अनुपातिक आधार पर देय होगा।
- 15) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

यदि उपरोक्त शर्तें आपको स्वीकार हैं, तो आप उक्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नियम एवं शर्तों की स्वीकृति स्वरूप इस पत्र की द्वितीय प्रति पर हस्ताक्षर कर दिनांक 30/01/2021, समय 11:00 AM को प्रधान कार्यालय रायपुर में संबंधित कागजात लेकर उपस्थित होंगे।

भवदीय,


महाप्रबंधक (प्रशासन)





छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

(भारत सरकार, राज्य शासन एवं भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उपक्रम)

CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK

(Joint Venture of Govt. of India, State Govt. & State Bank of India)

श्री सुदेश जैन,
श्री एम.सी. जैन,
पारस कृषि केन्द्र, लखोली नाका रोड़,
राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.), पिन नं-491441

पत्र क्रमांक : CRGB/Staff/1846/2020-21

दिनांक : 22/01/2021

महोदय,

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) कार्य हेतु आपका नाम सूचीबद्ध करने संबंधी

आपको सूचित करते हुये हमें हर्ष है कि पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) पद पर कार्य करने के लिये दिनांक 20/01/2021 को संपन्न साक्षात्कार में आपका नाम सूचीबद्ध करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु आपको सूचीबद्ध करना पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है जो अन्य शर्तों के साथ-साथ (Inter-alia) निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के अधीन है :-

1) उक्त पद हेतु आपका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार तय किया गया है :-

पद	एनपीए/बीसी पर्यवेक्षक	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय
सुपरवाईजर	बी.सी.	राजनांदगांव

2) गोपनीयता एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

3) इसे नियोजन/पुनः नियोजन नहीं माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाये सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है।

4) सूची में शामिल हो जाने मात्र से आप काम पाने का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। कार्य का आबंटन युक्तियुक्तता तथा बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।

5) पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) पद हेतु मानदेय की दर निम्नानुसार है -

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	मानदेय	रिमार्क
1	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 25,000/-	
		₹ 5000/-	परिवहन भत्ता (Conveyance) एवं मोबाईल चार्ज
योग		₹ 30,000/-	₹30,000/-+ इन्सेन्टिव (आबंटित किए गए कार्य में यदि बैंक के द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिया जाता है, तो अधिकतम ₹10,000/- तक पात्रता होगी)

6) आप बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

7) सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमें वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा।


--2--

- 8) ज्वार्डनिंग के समय चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- 9) पेंशन सर्टिफिकेट एवं पी.पी.ओ. अंतिम माह का प्रस्तुत करना होगा।
- 10) फोटो सत्यापित दो चरित्र प्रमाण पत्र अलग-अलग व्यक्तियों से प्रमाणित प्रस्तुत करें।
- 11) अन्य संस्था में कार्य न करने एवं आय अर्जन संबंधी अन्य स्रोत हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- 12) संस्था छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस देवें तभी सेवात्याग की कार्यवाही की जाएगी। ऐसा न किए जाने की स्थिति में एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 13) कार्य की समीक्षा मासिक अंतराल में की जावेगी एवं कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में बैंक प्रबंधन को सेवा समाप्ति का अधिकार होगा।
- 14) माह में एक से अधिक दिन अनुपस्थित रहने पर (बैंकिंग अवकाश दिवस को छोड़कर) मानदेय अनुपातिक आधार पर देय होगा।
- 15) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

यदि उपरोक्त शर्तें आपको स्वीकार हैं, तो आप उक्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नियम एवं शर्तों की स्वीकृति स्वरूप इस पत्र की द्वितीय प्रति पर हस्ताक्षर कर दिनांक 30/01/2021, समय 11:00 AM को प्रधान कार्यालय रायपुर में संबंधित कागजात लेकर उपस्थित होंगे।

भवदीय,

महाप्रबंधक (प्रशासन)





श्री बी.कनक राजू,
श्री बी.वेंकट राव,
प्लॉट नं.-76, स्ट्रीट नं-15C,
प्रगति नगर रिसाली, भिलाई,
जिला-दुर्ग (छ.ग.), पिन नं.-490006

पत्र क्रमांक : CRGB/Staff/1846/2020-21
दिनांक : 22/01/2021

महोदय,

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) कार्य हेतु आपका नाम सूचीबद्ध करने संबंधी

आपको सूचित करते हुये हमें हर्ष है कि पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद पर कार्य करने के लिये दिनांक 21/01/2021 को संपन्न साक्षात्कार में आपका नाम सूचीबद्ध करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु आपको सूचीबद्ध करना पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है जो अन्य शर्तों के साथ-साथ (Inter-alia) निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के अधीन है :-

1) उक्त पद हेतु आपका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार तय किया गया है :-

पद	एनपीए/बीसी पर्यवेक्षक	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय
सुपरवाइजर	एन.पी.ए.	दुर्ग

- गोपनीयता एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।
- इसे नियोजन/पुनः नियोजन नहीं माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाये सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है।
- सूची में शामिल हो जाने मात्र से आप काम पाने का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। कार्य का आबंटन युक्तियुक्तता तथा बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।
- पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद हेतु मानदेय की दर निम्नानुसार है -

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	मानदेय	रिमार्क
1	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 25,000/-	
		₹ 5000/-	परिवहन भत्ता (Conveyance) एवं मोबाईल चार्ज
योग		₹ 30,000/-	₹30,000/-+ इन्सेन्टिव (आबंटित किए गए कार्य में यदि बैंक के द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिया जाता है, तो अधिकतम ₹10,000/- तक पात्रता होगी)


- आप बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
- सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमें वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा।


--2--

- 8) ज्वार्डनिंग के समय चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- 9) पेंशन सर्टिफिकेट एवं पी.पी.ओ. अंतिम माह का प्रस्तुत करना होगा।
- 10) फोटो सत्यापित दो चरित्र प्रमाण पत्र अलग-अलग व्यक्तियों से प्रमाणित प्रस्तुत करें।
- 11) अन्य संस्था में कार्य न करने एवं आय अर्जन संबंधी अन्य स्रोत हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- 12) संस्था छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस देवें तभी सेवात्याग की कार्यवाही की जाएगी। ऐसा न किए जाने की स्थिति में एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 13) कार्य की समीक्षा मासिक अंतराल में की जावेगी एवं कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में बैंक प्रबंधन को सेवा समाप्ति का अधिकार होगा।
- 14) माह में एक से अधिक दिन अनुपस्थित रहने पर (बैंकिंग अवकाश दिवस को छोड़कर) मानदेय अनुपातिक आधार पर देय होगा।
- 15) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

यदि उपरोक्त शर्तें आपको स्वीकार है, तो आप उक्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नियम एवं शर्तों की स्वीकृति स्वरूप इस पत्र की द्वितीय प्रति पर हस्ताक्षर कर दिनांक 30/01/2021, समय 11:00 AM को प्रधान कार्यालय रायपुर में संबंधित कागजात लेकर उपस्थित होंगे।

भवदीय,


महाप्रबंधक (प्रशासन)





छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

(भारत सरकार, राज्य शासन एवं भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उपक्रम)

CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK

(Joint Venture of Govt. of India, State Govt. & State Bank of India)

श्री धीरेन्द्र नाथ दुबे,
स्व. श्री तीर्थनाथ दुबे,
प्रतापपुर नाका, शिवधारी कॉलोनी, H.No.-47,
शिवायन भवन, पोस्ट-अम्बिकापुर,
जिला-सरगुजा (छ.ग.) पिन नं.-497001

पत्र क्रमांक : CRGB/Staff/1846/2020-21

दिनांक : 22/01/2021

महोदय,

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) कार्य हेतु आपका नाम सूचीबद्ध करने संबंधी

आपको सूचित करते हुये हमें हर्ष है कि पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद पर कार्य करने के लिये दिनांक 21/01/2021 को संपन्न साक्षात्कार में आपका नाम सूचीबद्ध करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु आपको सूचीबद्ध करना पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है जो अन्य शर्तों के साथ-साथ (Inter-alia) निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के अधीन है :-

- 1) उक्त पद हेतु आपका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार तय किया गया है :-

पद	एनपीए/बीसी पर्यवेक्षक	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय
सुपरवाइजर	बी.सी.	अंबिकापुर

- 2) गोपनीयता एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।
- 3) इसे नियोजन/पुनः नियोजन नहीं माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाये सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है।
- 4) सूची में शामिल हो जाने मात्र से आप काम पाने का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। कार्य का आबंटन युक्तियुक्तता तथा बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।
- 5) पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद हेतु मानदेय की दर निम्नानुसार है -

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	मानदेय	रिमार्क
1	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 25,000/- ₹ 5000/-	परिवहन भत्ता (Conveyance) एवं मोबाईल चार्ज
योग		₹ 30,000/-	₹30,000/-+ इन्सेन्टिव (आबंटित किए गए कार्य में यदि बैंक के द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिया जाता है, तो अधिकतम ₹10,000/- तक पात्रता होगी)

- 6) आप बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
- 7) सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमें वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा।

--2--

प्रधान कार्यालय - महादेव घाट रोड, सुन्दर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492013


Head Office - Mahadeoghat Road, Sunder Nagar, Raipur (C.G.) 492013

Phone No. - +91 771 4388804, Toll Free - 1800-233-2300, Email - cgb_raipur@yahoo.co.in, Website - www.cgbank.in

- 8) ज्वार्डनिंग के समय चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- 9) पेंशन सर्टिफिकेट एवं पी.पी.ओ. अंतिम माह का प्रस्तुत करना होगा।
- 10) फोटो सत्यापित दो चरित्र प्रमाण पत्र अलग-अलग व्यक्तियों से प्रमाणित प्रस्तुत करें।
- 11) अन्य संस्था में कार्य न करने एवं आय अर्जन संबंधी अन्य स्रोत हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- 12) संस्था छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस देवें तभी सेवात्याग की कार्यवाही की जाएगी। ऐसा न किए जाने की स्थिति में एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 13) कार्य की समीक्षा मासिक अंतराल में की जावेगी एवं कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में बैंक प्रबंधन को सेवा समाप्ति का अधिकार होगा।
- 14) माह में एक से अधिक दिन अनुपस्थित रहने पर (बैंकिंग अवकाश दिवस को छोड़कर) मानदेय अनुपातिक आधार पर देय होगा।
- 15) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

यदि उपरोक्त शर्तें आपको स्वीकार हैं, तो आप उक्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नियम एवं शर्तों की स्वीकृति स्वरूप इस पत्र की द्वितीय प्रति पर हस्ताक्षर कर दिनांक 30/01/2021, समय 11:00 AM को प्रधान कार्यालय रायपुर में संबंधित कागजात लेकर उपस्थित होंगे।

भवदीय,


महाप्रबंधक (प्रशासन)





श्री दीपक नौटियाल,
श्री हरप्रसाद नौटियाल,
वार्ड क्रमांक-1, मनेन्द्रगढ़ रोड़,
हॉटल शैलगिरी के सामने, पानी टंकी के पास,
अम्बिकापुर (छ.ग.) पिन नं.-497001

पत्र क्रमांक : CRGB/Staff/1846/2020-21
दिनांक : 22/01/2021

महोदय,

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) कार्य हेतु आपका नाम सूचीबद्ध करने संबंधी

आपको सूचित करते हुये हमें हर्ष है कि पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद पर कार्य करने के लिये दिनांक 21/01/2021 को संपन्न साक्षात्कार में आपका नाम सूचीबद्ध करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु आपको सूचीबद्ध करना पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है जो अन्य शर्तों के साथ-साथ (Inter-alia) निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के अधीन है :-

1) उक्त पद हेतु आपका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार तय किया गया है :-

पद	एनपीए/बीसी पर्यवेक्षक	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय
सुपरवाइजर	बी.सी.	अंबिकापुर

- गोपनीयता एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।
- इसे नियोजन/पुनः नियोजन नहीं माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाये सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है।
- सूची में शामिल हो जाने मात्र से आप काम पाने का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। कार्य का आबंटन युक्तियुक्तता तथा बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।
- पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद हेतु मानदेय की दर निम्नानुसार है -

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	मानदेय	रिमार्क
1	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 25,000/- ₹ 5000/-	परिवहन भत्ता (Conveyance) एवं मोबाईल चार्ज
योग		₹ 30,000/-	₹30,000/-+ इन्सेन्टिव (आबंटित किए गए कार्य में यदि बैंक के द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिया जाता है, तो अधिकतम ₹10,000/- तक पात्रता होगी)


- आप बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
- सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमें वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा।


--2--

- 8) ज्वार्डनिंग के समय चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- 9) पेंशन सर्टिफिकेट एवं पी.पी.ओ. अंतिम माह का प्रस्तुत करना होगा।
- 10) फोटो सत्यापित दो चरित्र प्रमाण पत्र अलग-अलग व्यक्तियों से प्रमाणित प्रस्तुत करें।
- 11) अन्य संस्था में कार्य न करने एवं आय अर्जन संबंधी अन्य स्रोत हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- 12) संस्था छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस देवें तभी सेवात्याग की कार्यवाही की जाएगी। ऐसा न किए जाने की स्थिति में एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 13) कार्य की समीक्षा मासिक अंतराल में की जावेगी एवं कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में बैंक प्रबंधन को सेवा समाप्ति का अधिकार होगा।
- 14) माह में एक से अधिक दिन अनुपस्थित रहने पर (बैंकिंग अवकाश दिवस को छोड़कर) मानदेय अनुपातिक आधार पर देय होगा।
- 15) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

यदि उपरोक्त शर्तें आपको स्वीकार है, तो आप उक्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नियम एवं शर्तों की स्वीकृति स्वरूप इस पत्र की द्वितीय प्रति पर हस्ताक्षर कर दिनांक 30/01/2021, समय 11:00 AM को प्रधान कार्यालय रायपुर में संबंधित कागजात लेकर उपस्थित होंगे।

भवदीय,


महाप्रबंधक (प्रशासन)





छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

(भारत सरकार, राज्य शासन एवं भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उपक्रम)

CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK

(Joint Venture of Govt. of India, State Govt. & State Bank of India)

श्री सुशील कुमार पात्रे,
श्री गंगा प्रसाद पात्रे,
जरहाभाठा तालापारा रोड़,
प्रोग्रेसिव कान्वेंट स्कूल के पास, बिलासपुर,
जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन नं.-495001

पत्र क्रमांक : CRGB/Staff/1846/2020-21

दिनांक : 22/01/2021

महोदय,

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) कार्य हेतु आपका नाम सूचीबद्ध करने संबंधी

आपको सूचित करते हुये हमें हर्ष है कि पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) पद पर कार्य करने के लिये दिनांक 21/01/2021 को संपन्न साक्षात्कार में आपका नाम सूचीबद्ध करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु आपको सूचीबद्ध करना पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है जो अन्य शर्तों के साथ-साथ (Inter-alia) निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के अधीन है :-

- 1) उक्त पद हेतु आपका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार तय किया गया है :-

पद	एनपीए/बीसी पर्यवेक्षक	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय
सुपरवाईजर	एन.पी.ए.	जांजगीर

- 2) गोपनीयता एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।
- 3) इसे नियोजन/पुनः नियोजन नहीं माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाये सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है।
- 4) सूची में शामिल हो जाने मात्र से आप काम पाने का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। कार्य का आबंटन युक्तियुक्तता तथा बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।
- 5) पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) पद हेतु मानदेय की दर निम्नानुसार है -

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	मानदेय	रिमार्क
1	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 25,000/-	
		₹ 5000/-	परिवहन भत्ता (Conveyance) एवं मोबाईल चार्ज
योग		₹ 30,000/-	₹30,000/-+ इन्सेन्टिव (आबंटित किए गए कार्य में यदि बैंक के द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिया जाता है, तो अधिकतम ₹10,000/- तक पात्रता होगी)

- 6) आप बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
- 7) सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमें वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा।

--2--

प्रधान कार्यालय - महादेव घाट रोड, सुन्दर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492013


Head Office - Mahadeoghat Road, Sunder Nagar, Raipur (C.G.) 492013


Phone No. - +91 771 4388804, Toll Free - 1800-233-2300, Email - cgb_raipur@yahoo.co.in, Website - www.cgbank.in

- 8) ज्वार्डनिंग के समय चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- 9) पेंशन सर्टिफिकेट एवं पी.पी.ओ. अंतिम माह का प्रस्तुत करना होगा।
- 10) फोटो सत्यापित दो चरित्र प्रमाण पत्र अलग-अलग व्यक्तियों से प्रमाणित प्रस्तुत करें।
- 11) अन्य संस्था में कार्य न करने एवं आय अर्जन संबंधी अन्य स्रोत हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- 12) संस्था छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस देवें तभी सेवात्याग की कार्यवाही की जाएगी। ऐसा न किए जाने की स्थिति में एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 13) कार्य की समीक्षा मासिक अंतराल में की जावेगी एवं कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में बैंक प्रबंधन को सेवा समाप्ति का अधिकार होगा।
- 14) माह में एक से अधिक दिन अनुपस्थित रहने पर (बैंकिंग अवकाश दिवस को छोड़कर) मानदेय अनुपातिक आधार पर देय होगा।
- 15) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

यदि उपरोक्त शर्तें आपको स्वीकार हैं, तो आप उक्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नियम एवं शर्तों की स्वीकृति स्वरूप इस पत्र की द्वितीय प्रति पर हस्ताक्षर कर दिनांक 30/01/2021, समय 11:00 AM को प्रधान कार्यालय रायपुर में संबंधित कागजात लेकर उपस्थित होंगे।

भवदीय,


महाप्रबंधक (प्रशासन)





श्री अभिनेश चन्द्र शर्मा,
डॉ. जे.पी.शर्मा,
प्लॉट नं.-A-6, MIG-615 के सामने,
सेक्टर-2, दीनदयाल उपाध्याय नगर,
रायपुर (छ.ग.), पिन नं-492010

पत्र क्रमांक : CRGB/Staff/1846/2020-21
दिनांक : 22/01/2021

महोदय,

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) कार्य हेतु आपका नाम सूचीबद्ध करने संबंधी

आपको सूचित करते हुये हमें हर्ष है कि पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद पर कार्य करने के लिये दिनांक 21/01/2021 को संपन्न साक्षात्कार में आपका नाम सूचीबद्ध करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु आपको सूचीबद्ध करना पूर्णतः अनन्तितम (Provisional) है जो अन्य शर्तों के साथ-साथ (Inter-alia) निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के अधीन है :-

- 1) उक्त पद हेतु आपका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार तय किया गया है :-

पद	एनपीए/बीसी पर्यवेक्षक	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय
सुपरवाइजर	एन.पी.ए.	रायपुर

- 2) गोपनीयता एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।
- 3) इसे नियोजन/पुनः नियोजन नहीं माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाये सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है।
- 4) सूची में शामिल हो जाने मात्र से आप काम पाने का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। कार्य का आबंटन युक्तियुक्तता तथा बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।
- 5) पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद हेतु मानदेय की दर निम्नानुसार है -

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	मानदेय	रिमांक
1	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 25,000/- ₹ 5000/-	परिवहन भत्ता (Conveyance) एवं मोबाईल चार्ज
योग		₹ 30,000/-	₹30,000/-+ इन्सेन्टिव (आबंटित किए गए कार्य में यदि बैंक के द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिया जाता है, तो अधिकतम ₹10,000/- तक पात्रता होगी)


- 6) आप बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
- 7) सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमें वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा।

--2--

- 8) ज्वार्डनिंग के समय चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- 9) पेंशन सर्टिफिकेट एवं पी.पी.ओ. अंतिम माह का प्रस्तुत करना होगा।
- 10) फोटो सत्यापित दो चरित्र प्रमाण पत्र अलग-अलग व्यक्तियों से प्रमाणित प्रस्तुत करें।
- 11) अन्य संस्था में कार्य न करने एवं आय अर्जन संबंधी अन्य स्रोत हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- 12) संस्था छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस देवें तभी सेवात्याग की कार्यवाही की जाएगी। ऐसा न किए जाने की स्थिति में एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 13) कार्य की समीक्षा मासिक अंतराल में की जावेगी एवं कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में बैंक प्रबंधन को सेवा समाप्ति का अधिकार होगा।
- 14) माह में एक से अधिक दिन अनुपस्थित रहने पर (बैंकिंग अवकाश दिवस को छोड़कर) मानदेय अनुपातिक आधार पर देय होगा।
- 15) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

यदि उपरोक्त शर्तें आपको स्वीकार हैं, तो आप उक्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नियम एवं शर्तों की स्वीकृति स्वरूप इस पत्र की द्वितीय प्रति पर हस्ताक्षर कर दिनांक 30/01/2021, समय 11:00 AM को प्रधान कार्यालय रायपुर में संबंधित कागजात लेकर उपस्थित होंगे।

भवदीय,


महाप्रबंधक (प्रशासन)





छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

(भारत सरकार, राज्य शासन एवं भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उपक्रम)

CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK

(Joint Venture of Govt. of India, State Govt. & State Bank of India)

श्री अशोक कुमार सोनी,
श्री कन्हैया लाल सोनी,
राजस्व कालोनी बिलासपुर,
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

पत्र क्रमांक : CRGB/Staff/1846/2020-21

दिनांक : 22/01/2021

महोदय,

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) कार्य हेतु आपका नाम सूचीबद्ध करने संबंधी

आपको सूचित करते हुये हमें हर्ष है कि पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद पर कार्य करने के लिये दिनांक 21/01/2021 को संपन्न साक्षात्कार में आपका नाम सूचीबद्ध करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु आपको सूचीबद्ध करना पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है जो अन्य शर्तों के साथ-साथ (Inter-alia) निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के अधीन है :-

1) उक्त पद हेतु आपका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार तय किया गया है :-

पद	एनपीए/बीसी पर्यवेक्षक	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय
सुपरवाइजर	एन.पी.ए.	बिलासपुर

- गोपनीयता एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।
- इसे नियोजन/पुनः नियोजन नहीं माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाये सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है।
- सूची में शामिल हो जाने मात्र से आप काम पाने का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। कार्य का आबंटन युक्तियुक्तता तथा बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।
- पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद हेतु मानदेय की दर निम्नानुसार है -

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	मानदेय	रिमार्क
1	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 25,000/-	
		₹ 5000/-	परिवहन भत्ता (Conveyance) एवं मोबाइल चार्ज
योग		₹ 30,000/-	₹30,000/-+ इन्सेन्टिव (आबंटित किए गए कार्य में यदि बैंक के द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिया जाता है, तो अधिकतम ₹10,000/- तक पात्रता होगी)

- आप बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
- सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमें वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा।

--2--

प्रधान कार्यालय - महादेव घाट रोड, सुन्दर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492013


Head Office - Mahadeoghat Road, Sunder Nagar, Raipur (C.G.) 492013


Phone No. - +91 771 4388804, Toll Free - 1800-233-2300, Email - cgb_raipur@yahoo.co.in, Website - www.cgbank.in

- 8) ज्वार्डनिंग के समय चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- 9) पेंशन सर्टिफिकेट एवं पी.पी.ओ. अंतिम माह का प्रस्तुत करना होगा।
- 10) फोटो सत्यापित दो चरित्र प्रमाण पत्र अलग-अलग व्यक्तियों से प्रमाणित प्रस्तुत करें।
- 11) अन्य संस्था में कार्य न करने एवं आय अर्जन संबंधी अन्य स्रोत हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- 12) संस्था छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस देवें तभी सेवात्याग की कार्यवाही की जाएगी। ऐसा न किए जाने की स्थिति में एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 13) कार्य की समीक्षा मासिक अंतराल में की जावेगी एवं कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में बैंक प्रबंधन को सेवा समाप्ति का अधिकार होगा।
- 14) माह में एक से अधिक दिन अनुपस्थित रहने पर (बैंकिंग अवकाश दिवस को छोड़कर) मानदेय अनुपातिक आधार पर देय होगा।
- 15) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

यदि उपरोक्त शर्तें आपको स्वीकार हैं, तो आप उक्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नियम एवं शर्तों की स्वीकृति स्वरूप इस पत्र की द्वितीय प्रति पर हस्ताक्षर कर दिनांक 30/01/2021, समय 11:00 AM को प्रधान कार्यालय रायपुर में संबंधित कागजात लेकर उपस्थित होंगे।

भवदीय,


महाप्रबंधक (प्रशासन)





श्री हरी प्रधान,
स्व. श्री केशव प्रधान,
642/B, स्ट्रीट-36, स्मृति नगर,
पोस्ट-नेहरूनगर, भिलाई,
जिला-दुर्ग (छ.ग.),

पत्र क्रमांक : CRGB/Staff/1846/2020-21
दिनांक : 22/01/2021

महोदय,

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) कार्य हेतु आपका नाम सूचीबद्ध करने संबंधी

आपको सूचित करते हुये हमें हर्ष है कि पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) पद पर कार्य करने के लिये दिनांक 21/01/2021 को संपन्न साक्षात्कार में आपका नाम सूचीबद्ध करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु आपको सूचीबद्ध करना पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है जो अन्य शर्तों के साथ-साथ (Inter-alia) निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के अधीन है :-

- 1) उक्त पद हेतु आपका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार तय किया गया है :-

पद	एनपीए/बीसी पर्यवेक्षक	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय
सुपरवाईजर	बी.सी.	दुर्ग

- 2) गोपनीयता एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।
- 3) इसे नियोजन/पुनः नियोजन नहीं माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाये सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है।
- 4) सूची में शामिल हो जाने मात्र से आप काम पाने का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। कार्य का आबंटन युक्तियुक्तता तथा बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।
- 5) पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) पद हेतु मानदेय की दर निम्नानुसार है -

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	मानदेय	रिमार्क
1	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 25,000/-	
		₹ 5000/-	परिवहन भत्ता (Conveyance) एवं मोबाईल चार्ज
योग		₹ 30,000/-	₹30,000/-+ इन्सेन्टिव (आबंटित किए गए कार्य में यदि बैंक के द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिया जाता है, तो अधिकतम ₹10,000/- तक पात्रता होगी)


- 6) आप बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
- 7) सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमें वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा।

--2--

- 8) ज्वाईनिंग के समय चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- 9) पेंशन सर्टिफिकेट एवं पी.पी.ओ. अंतिम माह का प्रस्तुत करना होगा।
- 10) फोटो सत्यापित दो चरित्र प्रमाण पत्र अलग-अलग व्यक्तियों से प्रमाणित प्रस्तुत करें।
- 11) अन्य संस्था में कार्य न करने एवं आय अर्जन संबंधी अन्य स्रोत हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- 12) संस्था छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस देवें तभी सेवात्याग की कार्यवाही की जाएगी। ऐसा न किए जाने की स्थिति में एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 13) कार्य की समीक्षा मासिक अंतराल में की जावेगी एवं कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में बैंक प्रबंधन को सेवा समाप्ति का अधिकार होगा।
- 14) माह में एक से अधिक दिन अनुपस्थित रहने पर (बैंकिंग अवकाश दिवस को छोड़कर) मानदेय अनुपातिक आधार पर देय होगा।
- 15) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

यदि उपरोक्त शर्तें आपको स्वीकार हैं, तो आप उक्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नियम एवं शर्तों की स्वीकृति स्वरूप इस पत्र की द्वितीय प्रति पर हस्ताक्षर कर दिनांक 30/01/2021, समय 11:00 AM को प्रधान कार्यालय रायपुर में संबंधित कागजात लेकर उपस्थित होंगे।

भवदीय,


महाप्रबंधक (प्रशासन)





छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

(भारत सरकार, राज्य शासन एवं भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उपक्रम)

CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK

(Joint Venture of Govt. of India, State Govt. & State Bank of India)

श्री समीर कुण्डु,
स्व. श्री एम.सी.कुण्डु,
बनारस रोड़, एच.आर. अस्पताल के पास,
अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.), पिन नं.-497001

पत्र क्रमांक : CRGB/Staff/1846/2020-21

दिनांक : 22/01/2021

महोदय,

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) कार्य हेतु आपका नाम सूचीबद्ध करने संबंधी

आपको सूचित करते हुये हमें हर्ष है कि पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद पर कार्य करने के लिये दिनांक 21/01/2021 को संपन्न साक्षात्कार में आपका नाम सूचीबद्ध करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु आपको सूचीबद्ध करना पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है जो अन्य शर्तों के साथ-साथ (Inter-alia) निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के अधीन है :-

1) उक्त पद हेतु आपका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार तय किया गया है :-

पद	एनपीए/बीसी पर्यवेक्षक	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय
सुपरवाइजर	एन.पी.ए.	बैकुण्ठपुर

2) गोपनीयता एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

3) इसे नियोजन/पुनः नियोजन नहीं माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाये सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है।

4) सूची में शामिल हो जाने मात्र से आप काम पाने का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। कार्य का आबंटन युक्तियुक्तता तथा बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।

5) पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद हेतु मानदेय की दर निम्नानुसार है -

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	मानदेय	रिमार्क
1	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 25,000/-	
		₹ 5000/-	परिवहन भत्ता (Conveyance) एवं मोबाईल चार्ज
योग		₹ 30,000/-	₹30,000/-+ इन्सेन्टिव (आबंटित किए गए कार्य में यदि बैंक के द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिया जाता है, तो अधिकतम ₹10,000/- तक पात्रता होगी)

6) आप बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।


7) सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमें वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा।


--2--

- 8) ज्वार्डनिंग के समय चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- 9) पेंशन सर्टिफिकेट एवं पी.पी.ओ. अंतिम माह का प्रस्तुत करना होगा।
- 10) फोटो सत्यापित दो चरित्र प्रमाण पत्र अलग-अलग व्यक्तियों से प्रमाणित प्रस्तुत करें।
- 11) अन्य संस्था में कार्य न करने एवं आय अर्जन संबंधी अन्य स्रोत हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- 12) संस्था छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस देवें तभी सेवात्याग की कार्यवाही की जाएगी। ऐसा न किए जाने की स्थिति में एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 13) कार्य की समीक्षा मासिक अंतराल में की जावेगी एवं कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में बैंक प्रबंधन को सेवा समाप्ति का अधिकार होगा।
- 14) माह में एक से अधिक दिन अनुपस्थित रहने पर (बैंकिंग अवकाश दिवस को छोड़कर) मानदेय अनुपातिक आधार पर देय होगा।
- 15) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थायी है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

यदि उपरोक्त शर्तें आपको स्वीकार हैं, तो आप उक्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नियम एवं शर्तों की स्वीकृति स्वरूप इस पत्र की द्वितीय प्रति पर हस्ताक्षर कर दिनांक 30/01/2021, समय 11:00 AM को प्रधान कार्यालय रायपुर में संबंधित कागजात लेकर उपस्थित होंगे।

भवदीय,


महाप्रबंधक (प्रशासन)





छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

(भारत सरकार, राज्य शासन एवं भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उपक्रम)

CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK

(Joint Venture of Govt. of India, State Govt. & State Bank of India)

श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह,
स्व. श्री गुरुसिंह,
वार्ड नं.-9, पटेलापारा, फुन्दुरडिहारी,
अम्बिकापुर (छ.ग.), पिन नं.-497001

पत्र क्रमांक : CRGB/Staff/1846/2020-21

दिनांक : 22/01/2021

महोदय,

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) कार्य हेतु आपका नाम सूचीबद्ध करने संबंधी

आपको सूचित करते हुये हमें हर्ष है कि पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) पद पर कार्य करने के लिये दिनांक 21/01/2021 को संपन्न साक्षात्कार में आपका नाम सूचीबद्ध करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु आपको सूचीबद्ध करना पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है जो अन्य शर्तों के साथ-साथ (Inter-alia) निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के अधीन है :-

- 1) उक्त पद हेतु आपका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार तय किया गया है :-

पद	एनपीए/बीसी पर्यवेक्षक	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय
सुपरवाईजर	बी.सी.	अंबिकापुर

- 2) गोपनीयता एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।
- 3) इसे नियोजन/पुनः नियोजन नहीं माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाये सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है।
- 4) सूची में शामिल हो जाने मात्र से आप काम पाने का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। कार्य का आबंटन युक्तियुक्तता तथा बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।
- 5) पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) पद हेतु मानदेय की दर निम्नानुसार है -

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	मानदेय	रिमार्क
1	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 25,000/-	
		₹ 5000/-	परिवहन भत्ता (Conveyance) एवं मोबाईल चार्ज
योग		₹ 30,000/-	₹30,000/-+ इन्सेन्टिव (आबंटित किए गए कार्य में यदि बैंक के द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिया जाता है, तो अधिकतम ₹10,000/- तक पात्रता होगी)

- 6) आप बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
- 7) सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमें वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा।

--2--

प्रधान कार्यालय - महादेव घाट रोड, सुन्दर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492013


Head Office - Mahadeoghat Road, Sunder Nagar, Raipur (C.G.) 492013


Phone No. - +91 771 4388804, Toll Free - 1800-233-2300, Email - cgb_raipur@yahoo.co.in, Website - www.cgbank.in

- 8) ज्वार्डनिंग के समय चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- 9) पेंशन सर्टिफिकेट एवं पी.पी.ओ. अंतिम माह का प्रस्तुत करना होगा।
- 10) फोटो सत्यापित दो चरित्र प्रमाण पत्र अलग-अलग व्यक्तियों से प्रमाणित प्रस्तुत करें।
- 11) अन्य संस्था में कार्य न करने एवं आय अर्जन संबंधी अन्य स्रोत हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- 12) संस्था छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस देवें तभी सेवात्याग की कार्यवाही की जाएगी। ऐसा न किए जाने की स्थिति में एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 13) कार्य की समीक्षा मासिक अंतराल में की जावेगी एवं कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में बैंक प्रबंधन को सेवा समाप्ति का अधिकार होगा।
- 14) माह में एक से अधिक दिन अनुपस्थित रहने पर (बैंकिंग अवकाश दिवस को छोड़कर) मानदेय अनुपातिक आधार पर देय होगा।
- 15) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

यदि उपरोक्त शर्तें आपको स्वीकार है, तो आप उक्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नियम एवं शर्तों की स्वीकृति स्वरूप इस पत्र की द्वितीय प्रति पर हस्ताक्षर कर दिनांक 30/01/2021, समय 11:00 AM को प्रधान कार्यालय रायपुर में संबंधित कागजात लेकर उपस्थित होंगे।

भवदीय,


महाप्रबंधक (प्रशासन)





छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

(भारत सरकार, राज्य शासन एवं भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उपक्रम)

CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK

(Joint Venture of Govt. of India, State Govt. & State Bank of India)

श्री विजय कुमार अग्रवाल,
स्व. श्री संतलाल अग्रवाल,
चौपहा पारा, रिंग रोड अम्बिकापुर,
श्री आर.पी.गुप्ता के मकान में,
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

पत्र क्रमांक : CRGB/Staff/1846/2020-21

दिनांक : 22/01/2021

महोदय,

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) कार्य हेतु आपका नाम सूचीबद्ध करने संबंधी

आपको सूचित करते हुये हमें हर्ष है कि पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद पर कार्य करने के लिये दिनांक 21/01/2021 को संपन्न साक्षात्कार में आपका नाम सूचीबद्ध करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु आपको सूचीबद्ध करना पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है जो अन्य शर्तों के साथ-साथ (Inter-alia) निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के अधीन है :-

1) उक्त पद हेतु आपका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार तय किया गया है :-

पद	एनपीए/बीसी पर्यवेक्षक	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय
सुपरवाइजर	बी.सी.	बैकुण्ठपुर

2) गोपनीयता एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

3) इसे नियोजन/पुनः नियोजन नहीं माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाये सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है।

4) सूची में शामिल हो जाने मात्र से आप काम पाने का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। कार्य का आबंटन युक्तियुक्तता तथा बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।

5) पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद हेतु मानदेय की दर निम्नानुसार है -

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	मानदेय	रिमार्क
1	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 25,000/-	
		₹ 5000/-	परिवहन भत्ता (Conveyance) एवं मोबाईल चार्ज
योग		₹ 30,000/-	₹30,000/-+ इन्सेन्टिव (आबंटित किए गए कार्य में यदि बैंक के द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिया जाता है, तो अधिकतम ₹10,000/- तक पात्रता होगी)

6) आप बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

7) सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमें वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा।

--2--

प्रधान कार्यालय - महादेव घाट रोड, सुन्दर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492013


Head Office - Mahadeoghat Road, Sunder Nagar, Raipur (C.G.) 492013


Phone No. - +91 771 4388804, Toll Free - 1800-233-2300, Email - cgb_raipur@yahoo.co.in, Website - www.cgbank.in

- 8) ज्वाइनिंग के समय चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- 9) पेंशन सर्टिफिकेट एवं पी.पी.ओ. अंतिम माह का प्रस्तुत करना होगा।
- 10) फोटो सत्यापित दो चरित्र प्रमाण पत्र अलग-अलग व्यक्तियों से प्रमाणित प्रस्तुत करें।
- 11) अन्य संस्था में कार्य न करने एवं आय अर्जन संबंधी अन्य स्रोत हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- 12) संस्था छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस देवें तभी सेवात्याग की कार्यवाही की जाएगी। ऐसा न किए जाने की स्थिति में एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 13) कार्य की समीक्षा मासिक अंतराल में की जावेगी एवं कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में बैंक प्रबंधन को सेवा समाप्ति का अधिकार होगा।
- 14) माह में एक से अधिक दिन अनुपस्थित रहने पर (बैंकिंग अवकाश दिवस को छोड़कर) मानदेय अनुपातिक आधार पर देय होगा।
- 15) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

यदि उपरोक्त शर्तें आपको स्वीकार है, तो आप उक्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नियम एवं शर्तों की स्वीकृति स्वरूप इस पत्र की द्वितीय प्रति पर हस्ताक्षर कर दिनांक 30/01/2021, समय 11:00 AM को प्रधान कार्यालय रायपुर में संबंधित कागजात लेकर उपस्थित होंगे।

भवदीय,


महाप्रबंधक (प्रशासन)





छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

(भारत सरकार, राज्य शासन एवं भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उपक्रम)

CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK

(Joint Venture of Govt. of India, State Govt. & State Bank of India)

श्री अमोद श्रीवास्तव,
स्व.श्री बी.एल. श्रीवास्तव,
दिग्विजय मार्ग-5, किलापारा, रमा विद्यागली,
राजनांदगांव (छ.ग.), पिन नं.-491441

पत्र क्रमांक : CRGB/Staff/1846/2020-21

दिनांक : 22/01/2021

महोदय,

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) कार्य हेतु आपका नाम सूचीबद्ध करने संबंधी

आपको सूचित करते हुये हमें हर्ष है कि पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) पद पर कार्य करने के लिये दिनांक 21/01/2021 को संपन्न साक्षात्कार में आपका नाम सूचीबद्ध करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु आपको सूचीबद्ध करना पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है जो अन्य शर्तों के साथ-साथ (Inter-alia) निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के अधीन है :-

1) उक्त पद हेतु आपका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार तय किया गया है :-

पद	एनपीए/बीसी पर्यवेक्षक	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय
सुपरवाईजर	बी.सी.	राजनांदगांव

2) गोपनीयता एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

3) इसे नियोजन/पुनः नियोजन नहीं माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाये सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है।

4) सूची में शामिल हो जाने मात्र से आप काम पाने का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। कार्य का आबंटन युक्तियुक्तता तथा बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।

5) पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) पद हेतु मानदेय की दर निम्नानुसार है -

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	मानदेय	रिमार्क
1	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 25,000/-	
		₹ 5000/-	परिवहन भत्ता (Conveyance) एवं मोबाईल चार्ज
योग		₹ 30,000/-	₹30,000/-+ इन्सेन्टिव (आबंटित किए गए कार्य में यदि बैंक के द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिया जाता है, तो अधिकतम ₹10,000/- तक पात्रता होगी)

6) आप बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

7) सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमें वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा।

--2--

प्रधान कार्यालय - महादेव घाट रोड, सुन्दर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492013


Head Office - Mahadeoghat Road, Sunder Nagar, Raipur (C.G.) 492013


Phone No. - +91 771 4388804, Toll Free - 1800-233-2300, Email - cgb_raipur@yahoo.co.in, Website - www.cgbank.in

- 8) ज्वार्डनिंग के समय चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- 9) पेंशन सर्टिफिकेट एवं पी.पी.ओ. अंतिम माह का प्रस्तुत करना होगा।
- 10) फोटो सत्यापित दो चरित्र प्रमाण पत्र अलग-अलग व्यक्तियों से प्रमाणित प्रस्तुत करें।
- 11) अन्य संस्था में कार्य न करने एवं आय अर्जन संबंधी अन्य स्रोत हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- 12) संस्था छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस देवें तभी सेवात्याग की कार्यवाही की जाएगी। ऐसा न किए जाने की स्थिति में एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 13) कार्य की समीक्षा मासिक अंतराल में की जावेगी एवं कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में बैंक प्रबंधन को सेवा समाप्ति का अधिकार होगा।
- 14) माह में एक से अधिक दिन अनुपस्थित रहने पर (बैंकिंग अवकाश दिवस को छोड़कर) मानदेय अनुपातिक आधार पर देय होगा।
- 15) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

यदि उपरोक्त शर्तें आपको स्वीकार हैं, तो आप उक्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नियम एवं शर्तों की स्वीकृति स्वरूप इस पत्र की द्वितीय प्रति पर हस्ताक्षर कर दिनांक 30/01/2021, समय 11:00 AM को प्रधान कार्यालय रायपुर में संबंधित कागजात लेकर उपस्थित होंगे।

भवदीय,


महाप्रबंधक (प्रशासन)





छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

(भारत सरकार, राज्य शासन एवं भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उपक्रम)

CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK

(Joint Venture of Govt. of India, State Govt. & State Bank of India)

श्री शिवराम सोनी,
स्व. श्री नथनी राम सोनी,
गुदरी चौक, केदारपुर रोड़
अम्बिकापुर (छ.ग.)

पत्र क्रमांक : CRGB/Staff/1846/2020-21

दिनांक : 22/01/2021

महोदय,

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) कार्य हेतु आपका नाम सूचीबद्ध करने संबंधी

आपको सूचित करते हुये हमें हर्ष है कि पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद पर कार्य करने के लिये दिनांक 21/01/2021 को संपन्न साक्षात्कार में आपका नाम सूचीबद्ध करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु आपको सूचीबद्ध करना पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है जो अन्य शर्तों के साथ-साथ (Inter-alia) निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के अधीन है :-

- 1) उक्त पद हेतु आपका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार तय किया गया है :-

पद	एनपीए/बीसी पर्यवेक्षक	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय
सुपरवाइजर	एन.पी.ए.	अंबिकापुर

- 2) गोपनीयता एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।
- 3) इसे नियोजन/पुनः नियोजन नहीं माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाये सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है।
- 4) सूची में शामिल हो जाने मात्र से आप काम पाने का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। कार्य का आबंटन युक्तियुक्तता तथा बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।
- 5) पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) पद हेतु मानदेय की दर निम्नानुसार है -

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	मानदेय	रिमार्क
1	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 25,000/- ₹ 5000/-	परिवहन भत्ता (Conveyance) एवं मोबाईल चार्ज
योग		₹ 30,000/-	₹30,000/-+ इन्सेन्टिव (आबंटित किए गए कार्य में यदि बैंक के द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिया जाता है, तो अधिकतम ₹10,000/- तक पात्रता होगी)

- 6) आप बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
- 7) सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमे वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा।

--2--

प्रधान कार्यालय - महादेव घाट रोड, सुन्दर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492013


Head Office - Mahadeoghat Road, Sunder Nagar, Raipur (C.G.) 492013

Phone No. - +91 771 4388804, Toll Free - 1800-233-2300, Email - cgb_raipur@yahoo.co.in, Website - www.cgbank.in

- 8) ज्वार्डनिंग के समय चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- 9) पेंशन सर्टिफिकेट एवं पी.पी.ओ. अंतिम माह का प्रस्तुत करना होगा।
- 10) फोटो सत्यापित दो चरित्र प्रमाण पत्र अलग-अलग व्यक्तियों से प्रमाणित प्रस्तुत करें।
- 11) अन्य संस्था में कार्य न करने एवं आय अर्जन संबंधी अन्य स्रोत हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
- 12) संस्था छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस देवें तभी सेवात्याग की कार्यवाही की जाएगी। ऐसा न किए जाने की स्थिति में एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 13) कार्य की समीक्षा मासिक अंतराल में की जावेगी एवं कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में बैंक प्रबंधन को सेवा समाप्ति का अधिकार होगा।
- 14) माह में एक से अधिक दिन अनुपस्थित रहने पर (बैंकिंग अवकाश दिवस को छोड़कर) मानदेय अनुपातिक आधार पर देय होगा।
- 15) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

यदि उपरोक्त शर्तें आपको स्वीकार है, तो आप उक्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नियम एवं शर्तों की स्वीकृति स्वरूप इस पत्र की द्वितीय प्रति पर हस्ताक्षर कर दिनांक 30/01/2021, समय 11:00 AM को प्रधान कार्यालय रायपुर में संबंधित कागजात लेकर उपस्थित होंगे।

भवदीय,


महाप्रबंधक (प्रशासन)

